☎ 06587- 238139

# JAWAHAR LAL NEHRU COLLEGE, CHAKRADHARPUR

( A Post Graduate Constituent Unit of Kolhan University, Chaibasa )

**(Website: www.jlncollege.org.in Email: jlncollege.org@gmail.com)**

Ref. No.– JLNC/ Inter/ 13 /2023 Dated – 17-02-2023

## *CANCELLATION OF INTERMEDIATE TENDER*

As per letter circulated from HTE & SD, Government of Jharkhand vide letter no. RUSA/Meeting-1/2019/HTESD-34 dated - 13-02-2023 to purchase any Items only through GEM Portal is mandatory. So, the Tender Notice vide Tender No. JLNC/Inter/Tender/01/2023 dated - 16-01-2023 all concern is hereby informed that the BID, which was opened for supply of Laboratory Items, Supply & installation of Computer, Battery & Inverter, and Office Furniture has been stand cancelled.

17/2/2023

J.L.N. COLLEGE Chakradharpur Est. 1967

**Principal**

Principal
Jawahar Lal Nehru College
Chakradharpur
17-2-2023

Scanned with CamScanner

# झारखण्ड सरकार
## उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

पत्रांक–RUSA/Meeting-1/2019/HTESD- 34 राँची/दिनांक– 13/2/2023

प्रेषक,

**गरिमा सिंह, भा.प्र.से.**
निदेशक।

सेवा में,

**कुलसचिव**
झारखण्ड राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालय।

**विषयः–** **सभी प्रकार के क्रय का निष्पादन केवल Government e-Market Place (GeM) के माध्यम से करने संबंधी निर्गत आदेश का सुनिश्चित अनुपालन करने के संबंध में।**

प्रसंगः– वित्त विभाग, झारखण्ड का संकल्प संख्या–2504, दिनांक–24.07.2017

महाशया/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली (General Financial Rule) 2017 के नियम–149 में Government e-Market Place (GeM) का प्रावधान निरुपित किया गया है। GeM की सुविधा को झारखण्ड राज्य के सरकारी विभागों/कार्यालयों के द्वारा उपयोग करने के उद्देश्य से वित्त विभाग, झारखण्ड के द्वारा संकल्प संख्या–2504 दिनांक–24.07.2017 झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम–235 के अधीन 235 (क) को अंगीकृत किया गया है। इसके तहत यह स्पष्ट प्रावधानित है कि सभी सरकारी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में GeM के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति बाध्यकारी होगी।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि समय–समय पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा सभी सरकारी क्रय प्रक्रिया का निष्पादन GeM Portal के माध्यम से करने हेतु निदेश निर्गत किया गया है। साथ ही पोर्टल के उपयोग के संबंध में आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाऐं भी आयोजित की गई हैं। इसके बावजूद भी विभाग को विभिन्न स्रोतों से ऐसी सूचनाऐं प्राप्त होती हैं कि कतिपय संस्थानों के द्वारा क्रय प्रक्रिया का निष्पादन GeM के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। विदित हो कि सामग्रियों का क्रय GeM के अलावा अन्य माध्यमों से करना भारत सरकार के द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली (General Financial Rule) 2017 के नियम–149 तथा इसके सदृश्य झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम–235 (क) का उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार तथा झारखण्ड सरकार के स्तर से निर्धारित उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में अपने विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के सामग्रियों का क्रय सिर्फ GeM Portal के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के विभिन्न अवयवों के अन्तर्गत महाविद्यालयों की स्वीकृत परियोजना के अधीन सामग्री क्रय का कार्य महाविद्यालय स्तर से ही निष्पादित किया जाए।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

Scanned with CamScanner